सं0 14(3)/संस्था-समन्वय-1/99
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- वर्ष 1998-99 के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की मंजूरी ।

*****

मुझे, केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों और उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस स्कीम के अन्तर्गत न आने वाले समूह "ख" के सभी अराजपत्रित अधिकारियों के लिए वर्ष 1998-99 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस मंजूर किए जाने के बारे मे राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का निदेश हुआ है । 2500/- रूपए की परिकल्पन सीमा अपरिवर्तित रहेगी । यह भुगतान केन्द्रीय पुलिस तथा अर्धसैनिक कार्मिकों तथा सशस्त्र बल कर्मियों के लिए भी स्वीकार्य होगा । यह आदेश संघ शासित क्षेत्र प्रशासकों के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगें, जिन पर परिलब्धियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण किया जाता है तथा जो अन्य किसी बोनस या अनुग्रह अदायगी की स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

2. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा :-

(i) केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत अदायगी के पात्र होंगे जो 31.3.99 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 1998-99 के दौरान कम से कम छः महीने की लगातार सेवा पूरी की हो । वर्ष के दौरान छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को अनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जाएगी ।

(ii) नैमित्तिक कामगार जिसने पिछले 3 वर्षों या इससे अधिक समय के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 240 दिनों के लिए काम किया है, इस तदर्थ अदायगी का पात्र होगा । इस राशि की अदायगी 750/-रूपए प्रतिमास के काल्पनिक वेतन पर की जाएगी । अदा किए जाने वाले तदर्थ बोनस की राशि रूपए 750 x 30/31 अर्थात 725.80/- रूपए (726 रूपए में पूर्णांकित) होगी । ऐसे मामलों में जहां पर वास्तविक परिलब्धियां 750/-रूपए प्रतिमास से कम होती हो, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी ।

(iii) इन आदेशों के अन्तर्गत सभी अदायगियां निकटतम रूपए में पूर्णांकित की जाएगी ।

(iv) ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त उपबंधों में कोई व्यवस्था नहीं है, समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 4.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.14(10)-संस्था- (समन्वय)/88 के द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश से लागू होंगे ।

3. इन आदेशों के अन्तर्गत अदायगियां संबंधित संगठनों की संगत अनुदानों की मांगों में उप-शीर्ष (वेतन) मे प्रभार्य होंगी ।

4. तदर्थ बोनस पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही किया जाना है ।

5. जहां तक, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्शों से जारी किए गए है ।

श्याम सुन्दर
(श्याम सुन्दर)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची आदि के अनुसार।
प्रतिलिपि (सामान्य संख्या मे अतिरिक्त प्रतियां सहित) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार प्रेषित ।

*****